



राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

जनपथ, ज्योति नगर, जयपुर फोन: 0141-2740172

E-mail : secy.rhb@rajasthan.gov.in

क्रमांक:प.1(1)कार्मिक/सीधी भर्ती/2024/2073

दिनांक: 11/12/2024

-: आज्ञा :-

कार्मिक विभाग की अधिसूचना 20.01.2006 एवं वित्त नियम विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.15(1)वित्त/नियम/2017 दिनांक 30.10.2017 एवं 9.12.2017 अन्तर्गत राजस्थान आवासन मण्डल कर्मचारी (भर्ती एवं पदोन्नति) विनियम-2010 के तहत नियुक्त भर्ती एजेन्सी द्वारा प्रेषित मेरिट लिस्ट एवं अनुशंषा अनुसार निम्न अभ्यर्थियों को प्रथमतः 02 वर्ष के लिए परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी (Probationer Trainee) के रूप में नियुक्त किये जाने के आदेश एतद् द्वारा प्रसारित किये जाते हैं :-




पद : कम्प्यूटर ऑपरेटर (सहायक प्रोग्रामर)

क्र. सं.	अभ्यर्थी का नाम	जन्म तिथि	मेरिट क्रमांक	वर्ग	रोल नम्बर	फोटो	आधार कार्ड के अन्तिम चार अंक
1	KALVINDAR SINGH House No.- 14 Village-3X, GANGANAGAR, RAJASTHAN	10/09/1991	1	GEN	RJ2309JAI121APA4034		4781
2	PRABHANSHU KAJALA WARD NO 05, SIKAR, RAJASTHAN	20/08/1995	2	GEN	RJ2309JAI104APA4099		1362
3	KESHAV SHARMA KHANDELWAL DHARMSHALA KE PICHE, JAIPUR, RAJASTHAN	31/01/1995	3	GEN	RJ2309JAI106APA4157		8804

Signature valid

Digitally signed by Anil Kumar Paliwal
Designation: Deputy Secretary
Date: 2024.12.11 12:53:45 IST
Reason: Approved



क. सं.	अभ्यर्थी का नाम	जन्म तिथि	मेरिट क्रमांक	वर्ग	रोल नम्बर	फोटो	आधार कार्ड के अन्तिम चार अंक
4	Akash Jaiman 266/303, Pratap Nagar , JAIPUR , RAJASTHAN	19/08/1984	4	GEN	RJ2309JAI106APA4082		8171
5	Pradeep Kumar VPO RAGHUNATHPURA, VIA GUDHA GOURJI , JHUNJHUNU , RAJASTHAN	20/11/1991	5	GEN	RJ2309JAI120APA4126		7149
6	Piyush Godara Ward NO 27 , HANUMANGARH , RAJASTHAN	26/10/1991	6	BC	RJ2309JAI120APA4130		5863

सभी नवनियुक्त अभ्यर्थी निम्नांकित शर्तों की अनिवार्य रूप से पालना के साथ अपनी उपस्थिति 31.12.2024 तक राजस्थान आवासन मण्डल कार्यालय जनपथ, ज्योति नगर, जयपुर (राजस्थान) में प्रस्तुत करेंगे।

- उपरोक्त अभ्यर्थियों को 01 जनवरी 2025 को प्रशिक्षण हेतु उपस्थित होना आवश्यक है, जिसकी सूचना पृथक से आवासन मण्डल की वेबसाईट पर उपलब्ध करवायी जायेगी। निर्धारित अवधि में उपस्थिति नहीं देने पर नियुक्ति आदेश निरस्त करने की कार्यवाही की जावेगी।
- यदि कोई अभ्यर्थी पूर्व में ही केन्द्र/राज्य सरकार की सेवा में नियुक्त है तो अपने मूल विभाग के अनापत्ति प्रमाण-पत्र एवं कार्यमुक्ति प्रमाण के साथ उपस्थित होंगे।
- अभ्यर्थियों की पारस्परिक वरिष्ठता उनकी मेरिट के अनुसार रहेगी।

Signature valid

Digitally signed by Anil Kumar
Paliwal
Designation : Deputy Secretary
Date: 2024.12.11 12:53:45 IST
Reason: Approved

Page 2 of 4

4. यदि किसी अभ्यर्थी का कार्य एवं आचरण परीवीक्षा अवधि में कभी भी अथवा परीवीक्षा काल की समाप्ति पर संतोषप्रद नहीं पाया गया तो उन्हें बिना किसी क्षतिपूर्ति के सेवा से किसी भी समय विमुक्त किया जा सकेगा।
5. अभ्यर्थियों की नियुक्ति **राजस्थान आवासन मण्डल कर्मचारी (भर्ती एवं पदोन्नति) विनियम-2010 एवं कार्मिक/वित्त विभाग** द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित सरकारी आदेशों/नियमों/परिपत्रों के अधीन रहेंगी।
6. परीवीक्षा प्रशिक्षण अवधि के दौरान इन्हें मासिक नियत पारिश्रमिक (Fixed Remuneration) देय होगा। परीवीक्षा प्रशिक्षण अवधि को संतोषप्रद रूप से पूर्ण करने के उपरान्त ही उन्हें पद का नियमित वेतनमान एवं अन्य सभी संबंधित परिलाभ देय होंगे। यह पारिश्रमिक माननीय उच्चतम न्यायालय में लम्बित याचिकाओं के निर्णय के अध्याधीन होगा।
7. परीवीक्षा अवधि (Probation Period) 02 वर्ष की होगी एवं इस अवधि में इन्हें कोई वार्षिक वेतनवृद्धि देय नहीं होगी।
8. परीवीक्षा अवधि में अन्य सुविधा या अवकाश आदि **राजस्थान आवासन मण्डल कर्मचारी (भर्ती एवं पदोन्नति) विनियम-2010 राजस्थान सेवा नियमों** में यथा संशोधित प्रावधानों के अनुसार देय होंगे।
9. सभी अभ्यर्थियों की जन्म तिथि उनके द्वारा प्रस्तुत सैकण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण करने के मूल प्रमाण-पत्र के आधार पर अंकित की गई है। अंकित की गई जन्म तिथि अपरिवर्तनीय होगी।
10. कार्यग्रहण करने की तारीख से ही अभ्यर्थी की सेवा प्रारम्भ होगी। कार्यग्रहण एवं पदस्थापन हेतु की गई किसी प्रकार की यात्रा के लिए विभाग/सरकार द्वारा कोई यात्रा/विराम भत्ता नहीं दिया जावेगा।
11. सभी अभ्यर्थी कार्यग्रहण करने हेतु उपस्थिति प्रस्तुत करते समय कार्मिक विभाग द्वारा प्रसारित दिशा-निर्देशों दिनांक 13.03.2020 के अनुक्रम में अपना मूल स्वास्थ्य प्रमाण पत्र (By Medical Board at the office of Chief Medical and Health Officer (CMHO) or hospitals that are attached to the Medical College, nearer to their residing place), तथा कार्यग्रहण के समय निर्धारित मूल दस्तावेज मय स्वप्रमाणीत प्रति एवं मूल पुलिस सत्यापन प्रमाण पत्र आवश्यक रूप से प्रस्तुत करेंगे।
12. उक्त कार्मिकों के पदस्थापन आदेश पृथक से प्रस्तुत होंगे।

Signature valid

Digitally Signed by Anil Kumar Paliwal
Designation : Deputy Secretary
Date: 2024.12.11 12:53:45 IST
Reason: Approved

13. यह कि उक्त भर्ती परिणाम माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में विचाराधीन सिविल याचिकाओं CWP17214/2023, CWP12344/2024, CWP12417/2024, CWP12554/2024, CWP12758/2024, CWP12766/2024, CWP13157/2024, CWP13826/2024, CWP14135/2024, CWP14230/2024, CWP14817/2024, CWP15283/2024, CWP13891/2024, CWP2553/2024, CWP14363/2024, CWP14264/2024, CWP14359/2024, CWP14382/2024 व समान अन्य याचिकाओं के अन्तिम निर्णय के अध्यक्षीन रहेंगी।

उक्त आज्ञा राजस्थान आवासन मण्डल के नियुक्ति प्राधिकारी से अनुमोदित है।

(डॉ. अनिल कुमार)
सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, नगरीय विकास विभाग एवं आवासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. उप शासन सचिव-द्वितीय, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव-अध्यक्ष/आवासन आयुक्त/मु.अ.(मु.)/I/II, रा.आ.मं., जयपुर।
5. निजी सचिव-सचिव/वि.स. एवं मुख्य लेखाधिकारी, रा.आ.मं., जयपुर।
6. लेखाधिकारी (भुगतान)/जीपीएफ/पेंशन/एसीआर/गोपनीय/कम्प्यूटर प्रकोष्ठ, रा.आ.मं., जयपुर।
7. सिस्टम एनालिस्ट(संयुक्त निदेशक), मुख्यालय, जयपुर को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करवाने हेतु।
8. संबंधित श्री
9. रक्षित पत्रावली।

सचिव

Signature valid

Digitally signed by Anil Kumar Paliwal
Designation : Deputy Secretary
Date: 2024.12.11 12:53:45 IST
Reason: Approved

Page 4 of 4